



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07102026-276891
CG-DL-E-07102026-276891

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5251]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2026/आश्विन 14, 1948

No. 5251]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2026/ASVINA 14, 1948

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2026

का.आ. 5461(अ).—केन्द्रीय सरकार, चीनी नियंत्रण आदेश, 2025 के खंड 7 और खंड 16 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अधिसूचना संख्या का.आ. 4165(अ), तारीख 28 जुलाई, 2026 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 28 जुलाई, 2026 में प्रकाशित हुई थी, का निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पैरा 1 में,-

“चीनी का कोई भी डीलर ऐसे स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए किसी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और देशभर में किसी भी समय पर और किसी भी स्थान में कोलकत्ता और उसके विस्तारित महानगरी क्षेत्रों के सिवाय, जहां स्टॉक 4000 क्विंटल से अधिक नहीं होगा, 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक

नहीं रखेगा।" शब्दों और अंकों के स्थान पर "चीनी का कोई भी डीलर ऐसे स्टॉक की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए किसी स्टॉक का भंडारण नहीं करेगा और देशभर में किसी भी समय पर और किसी भी स्थान में कोलकत्ता और उसके विस्तारित महानगरी क्षेत्रों और असम राज्य के सिवाय, जहां स्टॉक 2000 क्विंटल से अधिक नहीं होगा, 1000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रखेगा।" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

2. यह आदेश 15 अक्टूबर, 2026 को प्रवृत्त होगा।

[फा. सं. 1(2)/2026-एसपी-1]

अश्विनी श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 4165(अ), तारीख 28 जुलाई, 2026 को प्रकाशित किया गया था और तत्पश्चात् संख्यांक का.आ. 4907(अ), तारीख 3 सितंबर, 2026 को संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

ORDER

New Delhi, the 6th October, 2026

S.O. 5461(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) read with clauses 7 and 16 of the Sugar (Control) Order, 2025, the Central Government hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Department of Food and Public Distribution, number S.O. 4165(E), dated the 28th July, 2026, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 28th July, 2026, namely:—

In the said notification, in paragraph 1,—

for the words and figures "*no dealer of sugar shall hold any stock for a period exceeding thirty days from the date of receipt of such stock and shall not keep sugar in stock at any time and in any place throughout the country in excess of 2000 quintals, except in case of Kolkata and its extended metropolitan areas, where the stock shall not exceed 4000 quintals*", the words and figures "*no dealer of sugar shall hold any stock for a period exceeding **fifteen days** from the date of receipt of such stock and shall not keep sugar in stock at any time and in any place throughout the country in excess of **1000 quintals**, except in case of Kolkata and its extended metropolitan areas and the State of Assam, where the stock shall not exceed **2000 quintals***" shall be substituted.

2. This order shall come into force on the 15th day of October, 2026.

[F. No. 1(2)/2026-SP-I]

ASHWINI SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The principal order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide number S.O. 4165(E), dated the 28th July, 2026 and subsequently amended vide number S.O. 4907(E), dated the 3rd September, 2026.